अंतिम डिक्री मुकदमा इकतरफी (आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— श्री हवाई सिंह यादव, आर.ए.एस.

उनवान :—
विद्याधर बाजिया बनाम इन्द्रा कंवर वगै0

दावा बाबत घोषणा व विभाजन तथा स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. :— 198/2022

दिनांक : 18.10.2024

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश पूनिया उपस्थित। वाद में आज दिनांक 18.10.2024 को श्री हवाई सिंह यादव, उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू के समक्ष निपटारे के पेश होने पर मुताबिक विभाज़न प्रस्ताव मुतांबिक वाद स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है। भूमि खसरा नम्बर 100, 103, 104, 94, 95, 96, 97, 98, 99 कुल किता 9 कुल रकबा 2.15 है0 राजस्व ग्राम चारणवास उर्फ सुलतानसर पटवार मंडल प्रतापपुरा का मुताबिक विभजान प्रस्ताव खाता विभाजन के आदेश दिये जाते हैं। विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। तहसीलदार झुन्झुनू को आदेशित किया जाता है कि वे उक्तानुरार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना करें। खर्चा पक्षकार अपना—अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 18.10.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा द्वारा जारी की गई।

(हवाई सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा मेहनतनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा	2 1 500	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी मेहनतनामा वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिशनर बबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	00
योग	503	योग	00

उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जिला झुंझुनूं (राजस्थान)

(पीठासीन अधिकारी श्री हवाई सिंह यादव, आर. ए. एस.)

मुकदमा नं. 198/2022

उनवान

विधाधर बाजिया बनाम इन्द्रा कंवर वगै0

विधाधर बाजिया पुत्र रिछपाल जाति जाट निवासी मान नगर) झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनूं

वादी

बनाम

1. इन्द्रां कंवर पुत्री अमादान जातिं चारण निवासी चारणवास उर्फ सुलतानसर तहसील व जिला झुन्झुनूं
2. कल्याण सिंह पुत्र मोहनदान जाति चारण निवासी चारणवास उर्फ सुलतानसर तहसील व जिला झुन्झुनूं
3. कालूराम पुत्र मूंगाराम जाति मेघवाल निवासी चारणवास उर्फ सुलतानसर तहसील व जिला झुन्झुनूं
4. किरण कंवर पुत्री गणपत सिंह जाति चारण निवासी चारणवास उर्फ सुलतानसर तहसील व जिला झुन्झुनूं
5. किशोरलाल पुत्र मुंगाराम जाति मेघवाल निवासी चारणवास उर्फ सुलतानसर तहसील व जिला झुन्झुनूं
6. गणपत सिंह पुत्र बनजी जाति चारण निवासी चारणवास उर्फ सुलतानसर तहसील व जिला झुन्झुनूं
7. गुलाब कंवर स्त्री गणपत सिंह जाति चारण निवासी चारणवास उर्फ सुलतानसर तहसील व जिला झुन्झुनूं
8. जगवीर सिंह पुत्र मोहनदान जाति चारण निवासी चारणवास उर्फ सुलतानसर तहसील व जिला झुन्झुनूं
9. जयदेव सिंह पुत्र नानू सिंह जाति चारण निवासी चारणवास उर्फ सुलतानसर तहसील व जिला झुन्झुनूं
10. जानकी देवी स्त्री मोहनदान जाति चारण निवासी चारणवास उर्फ सुलतानसर झुन्झुनू
11. जोगेन्द्र पुत्र महेन्द्र जाति मेघवाल निवासी चारणवास उर्फ सुलतानसर झुन्झुनू
12. प्रभू सिंह पुत्र बनजी जाति चारण निवासी चारणवास उर्फ सुलतानसर झुन्झुनू
13. बजरंग कंवर पुत्री मोहनदान जाति चारण निवासी चारणवास उर्फ सुलतानसर झुन्झुनू
14. भगवती कंवर पुत्री मोहनदान जाति चारण निवासी चारणवास उर्फ सुलतानसर झुन्झुनू

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

15. भानाराम पुत्र मूलाराम जाति मेघवाल निवासी चारणवास उर्फ सुलतानसर झुन्झुनू
16. मुकेश कुमार पुत्र श्रवण कुमार जाति मेघवाल निवासी रामसपुर तहसील व जिला झुन्झुनूं
17. मदन सिंह पुत्र गणपत सिंह जाति चारण निवासी चारणवास उर्फ सुलतानसर झुन्झुनू
18. मनोहर कंवर पुत्री मोहनदान जाति चारण निवासी चारणवास उर्फ सुलतानसर झुन्झुनू
19. रजली स्त्री महेन्द्र जाति मेघवाल निवासी चारणवास उर्फ सुलतानसर झुन्झुनू
20. राजपाल सिंह पुत्र मोहनदान जाति चारण निवासी चारणवास उर्फ सुलतानसर झुन्झुनू
21. रामजीलाल पुत्र मूलाराम जाति मेघवाल निवासी चारणवास उर्फ सुलतानसर झुन्झुनू
22. रिध कंवर पुत्री मोहनदान जाति चारण निवासी चारणवास उर्फ सुलतानसर झुन्झुनू
23. विमला कंवर पुत्री नानूसिंह जाति चारण निवासी चारणवास उर्फ सुलतानसर झुन्झुनू
24. शक्ति सिंह पुत्र गणपत सिंह जाति चारण निवासी चारणवास उर्फ सुलतानसर झुन्झुनू
25. शोभा कंवर स्त्री नानू सिंह जाति चारण निवासी चारणवास उर्फ सुलतानसर झुन्झुनू
26. संतोष कंवर पुत्री मोहनदान जाति चारण निवासी चारणवास उर्फ सुलतानसर झुन्झुनू
27. सुनील पुत्र महेन्द्र जाति मेघवाल निवासी चारणवास उर्फ सुलतानसर झुन्झुनू
28. सहदेव सिंह पुत्र नानूसिंह जाति चारण निवासी चारणवास उर्फ सुलतानसर झुन्झुनू
29. सायर कंवर स्त्री अमदान जाति चारण निवासी चारणवास उर्फ सुलतानसर झुन्झुनू
30. उप पंजीयक झुन्झुनूं जिला झुन्झुनूं
31. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार तहसील व जिला झुन्झुनूं

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा व विभाजन तथा स्थाई निषेधाज्ञा

विवेचन

दिनांक : 18.10.2024

पत्रावली आदेश हेतु पेश हुई। वादी की ओर से वाद इस आशय के साथ पेश किया गया कि भूमि हाल खसरा नम्बर 100, 103, 104, 94, 95, 96, 97, 98, 99 कुल किता 9 कुल रकबा 2.15 है0 राजस्व ग्राम चारणवास उर्फ सुलतानसर पटवार मंडल प्रतापपुरा में स्थित है। वादी श्री विधाधर बाजिया पुत्र रिछपाल 1/4 हक हिस्से का सहखातेदार है तथा प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 29 जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के वर्तमान खाता संख्या 76 मे वर्णित हक हिस्सा के मुताबिक सहखातेदार है। यह कि जमीन वर्णित धारा 1 वाद पत्र का पक्षकारान के मध्य अभी तक बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के हिसाब से विधिवत विभाजन नही हुआ है। पक्षकारान आंपसी सहुलियत से अपने–अपने हक हिस्सा की जमीन पर काबिज काश्त है। यह कि जमीन वर्णित धारा 1 वाद पत्र पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी मे रहने से कोई एक सहखातेदार अपने हक हिस्सें की जमीन पर अच्छी तरह से कोई भू–सुधार नही कर सकता तथा ना ही किसी भी उद्देश्य के लिए संपरिवर्तन करवा सकता। इस कारण वादी ने जमीन वर्णित धारा 1 वाद पत्र मे अपने 1/4 हक हिस्सा की जमीन का अलग से विधिवत

उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

बंटवारा बाबत दिनांक 04-05-2022 को प्रतिवादी नं 31 को कहा तो प्रतिवादी नम्बर 31 भूमिधारी ने वादी को कहा कि सभी पक्षकार सहमत होने की स्थिति में वह जमीन का हक हिस्सा एवं कब्जा काश्त के मुताबिक विधिवत विभाजन कर सकता है तथा असहमति एवं अन्यथा सक्षम न्यायालय मे रेगुलर दावा पेशकर आदेश प्राप्त करने की सलाह दी जिस पर प्रतिवादीगण को जमीन मे हक हिस्सा व भौतिक कब्जा काश्त के मुताबिक जमीन के विधिवत विभाजन बाबत कहा तो वे स्पष्ट इन्कार हो गये तथा जमीन को बिना विभाजन के विक्रय करने) रहन रखने एवं वादी के कब्जा काश्त एवं उपयोग व उपभोग मे बाधा कारित करने की धमकी दी इस कारण मौजुदा वाद पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ।

उक्तानुसार दावा पेश होने पर न्यायालय द्वारा दिनांक 11.01.2024 को वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी तथा तहसीलदार झुन्झुनू से विभाजन प्रस्ताव चाहा गया था। तहसीलदार झुन्झुनू ने अपने पत्रांक भू0अ0/2024/798 दिनांक 23.04.2024 को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में पेश किया गया। विभाजन प्रस्ताव शामिल मिशल किया जाकर विभाजन प्रस्ताव पर बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने भूमि खसरा नम्बर 100, 103, 104, 94, 95, 96, 97, 98, 99 कुल किता 9 कुल रकबा 2.15 है0 राजस्व ग्राम चारणवास उर्फ सुलतानसर पटवार मंडल प्रतापपुरा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी अंतिम रूप से डिक्री किया जाने पर अपनी सहमति प्रदान की है। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया जाकर बहस वादी पर बगौर मनन किया गया। वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अंतिम निर्णय

वाद वादी सिद्ध होने पर मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है। भूमि खसरा नम्बर 100, 103, 104, 94, 95, 96, 97, 98, 99 कुल किता 9 कुल रकबा 2.15 है0 राजस्व ग्राम चारणवास उर्फ सुलतानसर पटवार मंडल प्रतापपुरा का मुताबिक विभजान प्रस्ताव खाता विभाजन के आदेश दिये जाते हैं। विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। तहसीलदार झुन्झुनू को आदेशित किया जाता है कि वे उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना करें। खर्चा पक्षकार अपना-अपना वहन करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमिल जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.10.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

18/10/24

(हवाई सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू

Scanned with OKEN Scanner